

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 618/15

संस्थापन दिनांक:-05/10/15

फाईलिंग नं. 233504003712015

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

महेश पिता नारायण पुरी
उम्र 39 वर्ष, निवासी बस स्टैंड गंज आमला,
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 21.07.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा-25 (1-बी) (बी) सहपठित धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 24.09.2015 को समय 17:00 बजे बंधा साईं मंदिर के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का छुरा जिसकी कुल लंबाई 1 फिट 7½ से.मी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया।

2 अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 24.09.2015 को उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव सूचना की तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ के मुखबिर के बताये अनुसार बंधा के पास साईं मंदिर के पास पहुंचे जहां पर अभियुक्त पुलिस को देखकर अपने आपको छिपाने की कोशिश करने लगा जिसे स्टाफ की मदद से पकड़ा गया। अभियुक्त से छुरा रखने का दस्तावेज पूछे जाने पर उसने अपने पास कोई भी दस्तावेज न होना बताया। तब अभियुक्त से गवाहों के समक्ष छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। तत्पश्चात थाने आकर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 518/15 अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना पूर्ण होने पर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

3 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये

गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 24.09.2015 को समय 05:00 बजे बंधा साईं मंदिर के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत लोक स्थान पर अपने आधिपत्य में बिना वैधानिक अनुज्ञप्ति के एक लोहे का छुरा जिसकी कुल लंबाई 1 फिट 7½ से.मी. को आधिपत्य में रखकर मध्यप्रदेश राज्य की अधिसूचना क्र. 6312-6552-II-B(i) दिनांक 22.11.74 का उल्लंघन किया ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

5 ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-6) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह दिनांक 24.09.2015 को थाना आमला में उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ही मुखबिर से प्राप्त सूचना की तस्दीक हेतु वह हमराह एसएचओ श्रीवास्तव, एसआई उइके और प्रधान आरक्षक अनिल तथा आरक्षक गोविंद के साथ कस्बा में रवाना हुआ था। उक्त साक्षी ने आगे यह भी प्रकट किया है कि बताये गये स्थान पर पहुंचने पर अभियुक्त को हमराह स्टाफ एवं साक्षी अलीम एवं लक्ष्मण की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा गया। साक्षीगण के समक्ष अभियुक्त से छुरा जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) तैयार किया गया। थाने पर वापस आकर अपराध क्र. 518/15 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-4) लेख की गयी।

6 पंचमसिंह उइके (अ.सा.-4), अनिल शर्मा (अ.सा.-3), गोविंद प्रसाद (अ.सा.-1) ने यह प्रकट किया है कि दिनांक 24.09.2015 को मुखबिर से सूचना मिलने पर वे उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव के साथ एवं थाना प्रभारी श्रीवास्तव के साथ कस्बा में रवाना हुए थे। उक्त साक्षीगण का यह कहना है कि साईं मंदिर बंधा के पास अभियुक्त को घेराबंदी करके पकड़ा गया था। उक्त साक्षीगण का यह भी कहना है कि उनके समक्ष उप निरीक्षक ओमप्रकाश यादव ने अभियुक्त से छुरी जप्त कर उसे गिरफ्तार किया था।

7 लक्ष्मण (अ.सा.-2) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकरण के संबंध में कोई जानकारी न होना एवं अपने समक्ष अभियुक्त से कोई भी जप्ती एवं उसकी गिरफ्तारी से इनकार किया है परंतु जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अलीम (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि वह अभियुक्त को जानता है

तथा बस स्टैंड आमला में पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्त से चाकू जप्त कर जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) बनाया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और अभियुक्त को गिरफ्तार भी किया था जिस पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 2 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त से न ही जप्ती की थी और न ही उसे गिरफ्तार किया था। पैरा क्र. 3 में उक्त साक्षी ने यह बताया है कि जब थाने में अभियुक्त को मर्डर केस में लेकर आये थे तब उसने थाने में कोरे कागजों में हस्ताक्षर किये थे। उक्त साक्षी अपने कथनों पर स्थिर नहीं है इसलिए उस पर विश्वास किया जाना सुरक्षित नहीं है।

8 प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.-2) के द्वारा अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया गया है तथा साक्षी अलीम अपने कथनों पर स्थिर न होने से वह विश्वसनीय नहीं पाया गया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं हो रहा है। अभिलेख पर मात्र पुलिस गवाहों की साक्ष्य है। मात्र पुलिस साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं माना जा सकता। बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में न्याय दृष्टांत नाथू सिंह वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० ए.आई.आर.1973 एससी 2783 अवलोकनीय है जिसमें यह अवधारित किया गया है कि पंच साक्षीगण के पक्ष विरोधी हो जाने के बाद भी शेष साक्षीगण जो कि पुलिस के कर्मचारी हैं उनकी साक्ष्य को इस आधार पर अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि वे पुलिस कर्मचारी हैं। अतः प्रकरण में पुलिस साक्षियों की उपलब्ध साक्ष्य से यह देखा जाना है कि अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित होती है या नहीं।

10 पंचमसिंह उइके (अ.सा.-4), अनिल शर्मा (अ.सा.-3) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि साक्षी लक्ष्मण और अलीम को रास्ते से लेकर मौके पर पहुंचे थे जबकि विवेचक साक्षी ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-6) ने यह बताया है कि साक्षी अलीम (अ.सा.-5) रमली बंधा की पुलिया के पास मिला था जबकि साक्षी लक्ष्मण (अ.सा.-2) उनकी गाड़ी को चला रहा था। पंचमसिंह उइके एवं अनिल शर्मा ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि जब वे लोग मौके पर पहुंचे तो वहां मौके पर 10-15 लोग मौजूद थे जबकि विवेचक साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 3 में यह बताया है कि घटना स्थल पर अभियुक्त के अलावा कोई व्यक्ति नहीं मिला था। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में अपराध क्र. 518/15 लेख है। साथ ही जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध आर्टिकल-ए की लंबाई साढ़े सात इंच लेख की गयी है और आयुध की चौड़ाई का कोई भी उल्लेख उसमें नहीं किया गया है।

11 जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) में अभियुक्त से लोहे का छुरा कर उसे पुलिस के कब्जे में लिया जाना लेख किया गया है किंतु जप्ती पत्रक से यह

प्रकट नहीं होता है कि उक्त लोहे के छुरे को जप्त किये जाने के बाद उसे पैकेट में बंद कर सील बंद किया गया अथवा नहीं। यदि कब्जे में लिये जाने के बाद उसे गवाहों के समक्ष सील बंद नहीं किया गया है तो यह युक्तियुक्त संदेह से परे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि न्यायालय में जो छुरा प्रस्तुत किया गया है वह वही छुरा है जो अभियुक्त से जप्त किया गया था। जप्ती पत्रक (प्रदर्श प्री-1) एवं गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श प्री-2) में अपराध क्रमांक उल्लेखित किया गया है। जिस समय जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गयी है उस समय तक अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ था। ऐसे में अपराध क्रमांक का जप्ती एवं गिरफ्तारी पत्रक में उल्लेख यह संदेह उत्पन्न करता है कि उक्त प्रपत्र अपराध पंजीबद्ध किये जाने के पश्चात् तैयार किये गये हैं। ऐसी दशा में जबकि जप्ती एवं गिरफ्तारी स्वतंत्र साक्षियों से समर्थित नहीं है एवं पुलिस साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभास है तब मात्र पुलिस अधिकारी के कथन पर विश्वास कर अभियुक्त से जप्ती प्रमाणित नहीं मानी जा सकती है। विवेचक साक्षी ओमप्रकाश यादव (अ.सा.-6) के कथनों से यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जप्तशुदा आयुध की नाप किससे की गयी थी। साथ ही जप्ती पत्रक में जप्तशुदा आयुध की केवल लंबाई का उल्लेख किया गया है तब यह भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता कि अधिसूचना का उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं।

12 उपरोक्त अनुसार की गई साक्ष्य विवेचना से यह दर्शित है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 24.09.2015 को 05:00 बजे या उसके लगभग बंधा साईं मंदिर के पास आमला थाना आमला जिला बैतूल सार्वजनिक स्थान में अपने आधिपत्य में एक लोहे का छुरा प्रतिबंधित आकार का बिना वैध अनुज्ञप्ति के अवैध रूप से रखा। अतः अभियुक्त महेश को धारा 25(1-बी)बी आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13 प्रकरण में जप्त सुदा लोहे का छुरा अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

14 अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15 आरोपी द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)